राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

कमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/ Sprinkler /2017–18/964–1157 दिनांक : 12.05.2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त.....

विषयः– वर्ष 2017–18 मे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) दलहन व गेहूँ एवं राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) अंतर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) दलहन व गेहूँ एवं राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) अंतर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम कियान्वयन के कम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

कृपया दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराते हुये आवंटित लक्ष्य अनुसार शत–प्रतिशत प्रगति अर्जित कराते हुये सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

कमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/ Sprinkler /2017–18/964-1157 दिनांक : 12.05.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, समस्त..... ।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), खण्डीय कार्यालय समस्त..... ।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, समस्त..... ।
24. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), समस्त ..... ।
25. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।
26. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

12.5.2017

(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2017–18

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) दलहन व गेहूँ एवं राष्ट्रीय मिशन ऑन ऑइलसीड एण्ड ऑइलपाम (NMOOP) अंतर्गत फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम के समान्य दिशा–निर्देश

1. **कृषक पात्रता** – योजना में सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे। योजनान्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्यो का 17.83 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 13.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषको को लाभान्वित किये जाने के साथ कम से कम 30 प्रतिशत कृषक लघु, सीमान्त एवं 30 प्रतिशत महिला श्रेणी के कृषको को प्राथमिकता प्रदान की जावे।
2. फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट/सोसायटी/स्कूल/कॉलेज/मन्दिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नही किया जावे।
3. योजनान्तर्गत कृषक को अनुदान राशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन कार्यक्रम मे **विगत 10 वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित नहीं किया गया हो।** कृषक उसी भूमि पर सिंचाई प्रणाली की अनुमानित आयु अर्थात 10 वर्ष की समाप्ति के बाद ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
4. कृषक के पास सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना आवश्यक है।
5. कृषक को आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य है।

आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण :–

(अ) <u>कियोस्क के माध्यम से आवेदन किये जाने पर</u> :–

- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड़ कर सकेगा। हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवायेगा।
- कियोस्ककर्त्ता मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड़ (Scan & Upload) करेगा।
- संबंधित कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा, उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड़ कर आवश्यक कार्यवाही करनी होगी एवं समय–समय पर आवेदनों की वस्तुस्थिति (Status) का अद्यतन (Update) करना होगा।
- इन सेवाओं से संबंधित वस्तु–स्थिति (Status) एवं आदेश/प्रमाण पत्र/ मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन–लाईन/एमएमएम (SMS) द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। जिसे आवेदकों द्वारा कियोस्क या स्वयं के माध्यम से छापकर (Print-out) प्राप्त किया जा सकता है।

- मूल दस्तावेजों को कियोस्ककर्त्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में एक बार संबंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।
- ऑफ–लाईन (Off-line) आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें।

(ब) <u>आवेदक द्वारा स्वयं ही ऑन–लाईन आवेदन किये जाने पर</u> :–

- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड़ (Scan & Upload) करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जायेगी।

6. कृषक द्वारा जिले में कार्यरत नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र कियोस्क की जानकारी जिला कलेक्टर कार्यालय अथवा ई–मित्र पोर्टल (www.emitra.gov.in) से प्राप्त की जाकर आवेदन किया जा सकता है।
7. आवेदन प्रार्थना पत्र आवेदित दिनांक से यदि **<u>मूल दस्तावेजों</u>** को कियोस्ककर्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर/ कृषक द्वारा स्वयं 30 दिवस उपरान्त संबंधित कृषि विभाग के कार्यालयों में भिजवाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
8. जिले हेतु चयनित "सांसद आदर्श ग्राम योजना" के तहत आवेदित अधिक से अधिक आवेदनो के आधार पर प्रमुखता से कार्य कराये जावे।
9. फव्वारा सिंचाई संयंत्र व मोबाईल रेनगन_पर अनुदान जारी करने से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग कर कृषक खेत का नक्शा मय खसरा संख्या तथा संयंत्र लगाये जाने के स्थान (Location) आदि को अंकित करेंगे ।
10. **ऑन लाईन आवेदन से संबंधित रिकार्ड प्राप्त होने पर कार्यालय स्तर पर** आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं व दिए गए प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के आधार पर सुनिश्चित किया जावे कि :–

- संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय द्वारा अनुदान हेतु पात्र, फव्वारा सिंचाई रेनगन संयंत्र की पत्रावलियों का पंजीयन कर 15 दिवस मे कार्यवाही पूर्ण कराई जाकर, कार्य कराये जाने हेतु "प्रशासनिक स्वीकृति" जारी करेगा।
- पात्र कृषक का फिल्ड स्तरीय निरीक्षण संबंधित सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सात दिवस मे पूर्ण कर पत्रावली संबंधित कार्यालय मे प्रस्तुत करेगा।

- कार्यालय द्वारा जारी "**प्रशासनिक स्वीकृति**" के संबंध मे संबंधित कृषक को क्षेत्रिय सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा हस्तगत कराया जावेगा जिससे कृषक कार्य प्रारम्भ कर सके।

11. कृषक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त भौतिक सत्यापन क्षेत्र के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/जिला विस्तार अधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी के साथ सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भी कराया जा सकता है। भौतिक सत्यापन का कार्य सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किये जाने पर संबंधित क्षेत्रिय कृषि पर्यवेक्षक व कृषक के हस्ताक्षर अनिवार्य है।
12. यदि भौतिक सत्यापन के समय फव्वारा सिंचाई संयंत्र व मोबाईल रेनगन विभागिय मापदण्ड के अनुरुप नही है तो इसकी सूचना आवेदनकर्ता कृषक को मय कारण सहित हस्तगत कराई जावेगी। भौतिक सत्यापन उपरान्त कृषकों को अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा।
13. प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना तत्दिवस ई–मेल द्वारा उप निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद को प्रेषित की जावेगी ताकि निश्चित समयावधि के दौरान संयंत्र स्थापन की मॉनीटरिंग की जा सके।
14. स्थापित फव्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि (वि.), जिला परिषद द्वारा उपलब्ध बजट सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जावेगा।
15. मिशन अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मद में आवंटित लक्ष्यानुसार फव्वारा सिंचाई संयंत्र एवं मोबाईल रेनगन पर कृषक श्रेणीवार अनुदान राशि का भुगतान कृषक श्रेणीवार आवंटित बजट से किया जायेगा।
16. फव्वारा सिंचाई संयंत्र एवं मोबाईल रेनगन कार्यक्रम मे एक कृषक को अधिकतम दो हैक्टेयर की सीमा तक लाभान्वित किया जा सकता है।
17. जिले को निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों में ही फव्वारा सिंचाई एवं मोबाइल रेनगन संयत्र पर कृषक को अनुदान दिया जायेगा।
18. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किसी भी स्थिति में लम्बित देनदारिया स्वीकार्य नही होगी। भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति अधिक हो सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक राशि व्यय नही की जावे।